23

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1943 (श0)

(सं0 पटना 982) पटना, बृहस्पतिवार, 2 दिसम्बर 2021

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर 2021

सं० 3/विविध–1098/2013–1098—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–7095 दिनांक–15.07.2021 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचलीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।–

(i) यह नियमावली बिहार राज्य अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचलीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

(iii) यह सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7095 दिनांक–15.07.2021 के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली के नियम–05 का उपनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

(i) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा तथा 15% पद कम्प्यूटर टंकण के साथ इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण योग्यताधारी सुपात्र समूह–'घ' कर्मचारियों से भरा जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा। जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेन्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।

(ii) अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति करने से पूर्व विभागीय सहमति आवश्यक होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव।

The 23rd November 2021

No. 3/M-1098/2021/1098—In exercise of powers conferred by Proviso to Article-309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for amendment in Public Health Engineering Circle Level Clerical Cadre (Recruitment & Service Conditions) Rule, 2016 under Govt. of Bihar, in light of General Administration Department Resolution Memo 7095 Dt.15.07.2021

1. ***Short title, extent & Commencement.—***

(i) This Rule may be called the Bihar Public Health Engineering Circle Level Clerical Cadre (Appointment & Service Condition) (First amendment) Rule, 2021

(ii) It shall extend and be effective equally on all the Mufassil Offices Under Public Health Engineering Department, Govt. of Bihar.

(iii) It will come into force from the date of issue of Resolution memo 7095 Dated 15.07.2021 of General Administration Department.

2. ***Sub-rule(1) of Rule -05 of the said Rules is substituted by the following :-***

(i) 85% posts of Lower Division Clerk shall be filled by direct recruitment and 15% posts shall be filled from amongst Group D employees passed intermediate (10+2) with Computer Typing or equivalent passed qualification. Such Govt. employees who died in harness, the appointment of their dependents would be considered after fulfillment of requisite parameters against the posts available for direct recruitment, for which the recommendation of the Commission will not be required.

But after the appointment of the dependents of the deceased employees, who died in harness, the requisition for remaining vacancies of that Calendar year will be sent to the commission up to the month of December of previous Calendar Year.

(ii) It will be necessary to get approval of the Department before the appointment on Compassionate ground on the post of Lower Division Clerk.

By the order of Governor of Bihar,
JITENDRA SRIVASTAVA,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 982-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in